प्रेषक,

एस. राधा चौहान,

अपर मुख्य सचिव, वित्त

एवं वित्त आयुक्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनाँक: 10 मई, 2022

विषय: केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत पी.एफ.एम.एस. के एस.एन.ए. मॉड्यूल के माध्यम से कार्मिकों के वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य में संचालित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को पी.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत एस.एन.ए. मॉड्यूल के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने के फलस्वरूप, पी.एफ.एम.एस. के एस.एन.ए. मॉड्यूल में वेतन से सम्बन्धित कटौतियों हेतु कोई व्यवस्था न होने के कारण केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, जिनमें वेतन से सम्बन्धित मद सम्मिलित हैं, उनमें कर्मचारियों के एन.पी.एस. आदि की कटौतियों में समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2022/बी-1-042/दस-2022, दिनाँक 27 जनवरी, 2022 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश में यह व्यवस्था है कि पी.एफ.एम.एस. के एस.एन.ए. मॉड्यूल में वेतन से सम्बधित कटौतियों की व्यवस्था होने तक ऐसी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, जिनमें कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु बजट व्यवस्था निहित है, के वेतन का आहरण कोषागार के माध्यम से किया जाय।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या-1(13)/PFMS/FCD/2020, दिनाँक 08 मार्च, 2022 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 से ऐसी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं जिनमें कार्मिकों के वेतन का भुगतान भी निहित हैं, के सम्बन्ध में उपरोक्त अंकित शासनादेश दिनाँक 27 जनवरी, 2022 में निर्धारित व्यवस्था के स्थान पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाये -

(1) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु आय-व्ययक में विद्यमान लेखाशीर्ष के अन्तर्गत योजना के केन्द्रांश की धनराशि (वेतन एवं अन्य मदों सहित) को सिंगल नोडल एकाउण्ट (एस.एन.ए.) में स्थानान्तरित करने हेतु बजट प्रावधान मानक मद "61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. में अन्तरण" में की जायेगी।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के संगत राज्यांश की व्यवस्था उपशीर्ष "89-केन्द्र पुरोनिधानित का संगत राज्यांश" में की गयी है। योजना के राज्यांश की धनराशि (वेतन एवं अन्य मदों सहित) को सिंगल नोडल एकाउण्ट (एस.एन.ए.) में स्थानान्तरित करने हेतु बजट प्रावधान मानक मद "61-केन्द्रीय योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए में अन्तरण" में की जायेगी।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत वेतन के भुगतान हेतु बजट प्रावधान एक नया विस्तृत शीर्ष खोलकर वेतन भुगतान सम्बन्धी अलग-अलग मानक मदों (यथा 01-वेतन, 03-मंहगाई भत्ता आदि) में केन्द्रांश एवं राज्यांश, दोनों की धनराशि सम्मिलित करके किया जायेगा।

(4) वेतन मदों में भुगतानित सकल धनराशि (केन्द्रांश+राज्यांश) की प्रतिपूर्ति के लिये योजनान्तर्गत समतुल्य धनराशि का ऋणात्मक (-) बजट प्रावधान एक अलग विस्तृत शीर्ष "घटायें एस.एन.ए. से वेतन की प्रतिपूर्ति" के अन्तर्गत मानक मद "62-केन्द्र प्रायोजित योजना में भुगतानित वेतन की प्रतिपूर्ति" में किया जायेगा।

(5) योजना के अन्तर्गत वेतन मदों में भुगतानित सकल धनराशि के समतुल्य धनराशि का प्रतिपूर्ति का दावा विभागाध्यक्ष स्तर पर तैनात वित्त नियंत्रक द्वारा सिंगल नोडल एजेन्सी (एस.एन.ए.) को प्रेषित किया जायेगा, जिसमें अनुदान संख्या एवं प्रतिपूर्ति के लेखाशीर्ष का भी उल्लेख किया जायेगा।

(6) सिंगल नोडल एजेन्सी (एस.एन.ए.) द्वारा प्रतिपूर्ति की धनराशि, चालान के माध्यम से सूचित लेखाशीर्ष के अन्तर्गत कोषागार में जमा की जायेगी। चालान पर लेखाशीर्ष के साथ-साथ अनुदान संख्या का अनिवार्य रूप से अंकन सिंगल नोडल एजेन्सी (एस.एन.ए.) द्वारा किया जायेगा। चालान की एक प्रति विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रतिपूर्त धनराशि का लेखाजोखा विभागाध्यक्ष स्तर पर तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा रखा जायेगा तथा इस हेतु एक रजिस्टर भी रखा जायेगा।

(7) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, जिनमें वेतन भुगतान निहित है, के लिये वित्तीय वर्ष 2022-2023 में उक्तानुसार बजट व्यवस्था की जायेगी।

कृपया उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीया,

एस. राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव, वित
एवं वित्त आयुक्त।

.....3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या: 12/2022/बी-1- 357 (1)/दस-2022, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि वे एस.एन.ए. द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के वेतन की प्रतिपूर्ति की धनराशि को चालान में अंकित अनुदान संख्या व लेखाशीर्ष में भुगतान पक्ष में (-) डेबिट के रूप में पुस्तांकन करें।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त।

संख्या: 12/2022/बी-1- 357 (2)/दस-2022, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2 प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ / प्रयागराज।

3 अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

4 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

5 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से एस.एन.ए. द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में वेतन की प्रतिपूर्ति की जमा की गयी धनराशि के चालान का पुस्तांकन कोषागार लेखे के भुगतान पक्ष में (-) डेबिट के रूप में कराये जाने हेतु ट्रेजरी सॉफ्टवेयर में व्यवस्था हेतु।

6 निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

7 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग तथा उनसे सम्बद्ध अधिकारी।

8 राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य एकक इकाई, योजना भवन, लखनऊ।

9 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

10 विभागीय आदेश पत्रावली।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।